

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-दिव्यराज सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
34 / 2025

दायर दिनांक
07.01.2025

निर्णय दिनांक
03-04-2025


1. अनोपी पत्नी स्व. रघुनाथ जाति गुर्जर
 2. कालू पुत्र श्रीकिशन जाति गुर्जर
 3. गिरधारी पुत्र श्रीकिशन जाति गुर्जर
 4. प्रह्लाद पुत्र रघुनाथ जाति गुर्जर
 5. बनवास पुत्र श्रीकिशन जाति गुर्जर
 6. भेरू पुत्र श्रीकिशन जाति गुर्जर
 7. मंजु सुनीता राजपूत जाति गुर्जर
 8. नाबालिग रेखा पुत्री रघुनाथ सरंक्षक सरपरस्त माता अनोपी जाति गुर्जर उम्र वयस्क
 9. श्रृंगारी पत्नी स्व. श्रीकिशन जाति गुर्जर
 10. सूरमा पुत्री राजपूत जाति गुर्जर
- निवासीयान ग्राम भडाणीखेड़ा, पटवार हल्का रीछड़ा, भूअभि.नि. महुत्राकला तहसील व जिला भीलवाडा राज

— प्राथीगण

बनाम

1. भैरू लाल पुत्र लालू जाति गुर्जर, उम्र वयस्क निवासी भडाणीखेड़ा तहसील व जिला भीलवाडा
2. मादू लाल पुत्र लालू जाति गुर्जर, उम्र वयस्क निवासी भडाणीखेड़ा तहसील व जिला भीलवाडा
3. ऊदा पुत्र हेमा जाति गुर्जर, उम्र वयस्क निवासी भडाणीखेड़ा तहसील व जिला भीलवाडा
4. काशी पुत्र हेमा जाति गुर्जर, उम्र वयस्क निवासी भडाणीखेड़ा तहसील व जिला भीलवाडा ।
5. कल्याण पुत्र मेगा जाति गुर्जर, उम्र वयस्क निवासी भडाणीखेड़ा तहसील व जिला भीलवाडा
6. भोजा पुत्र मेगा जाति गुर्जर, उम्र वयस्क निवासी भडाणीखेड़ा तहसील व जिला भीलवाडा
7. रामू पुत्री मेगा जाति गुर्जर, उम्र वयस्क निवासी भडाणीखेड़ा तहसील व जिला भीलवाडा
8. लादू पुत्र मेगा जाति गुर्जर, उम्र वयस्क निवासी भडाणीखेड़ा तहसील व जिला भीलवाडा

विपक्षीगण


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपस्थित:-अधिवक्ता प्रार्थी श्री राजेश चौधरी
अप्रार्थी संख्या 01 से लगाकर 8 उपस्थित नहीं

:- प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रीछडा पटवार हल्का रीछडा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र महुआकला तहसील व जिला-भीलवाड़ा की सरहद में हम प्रार्थीगण की कृषि आराजियात स्थित है जिसका विवरण आराजी संख्या 2668/1087 रकबा 2.9084 हेक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काशत की है और प्रतिवादी के पड़ोसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काशतकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी संख्या 01 से लगायत 8 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

मैंने पत्रावली में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात के खातेदार काशतकार होकर इन्हे आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार भीलवाड़ा को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम रीछडा पटवार हल्का रीछडा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र महुआकला तहसील व जिला-भीलवाड़ा की सरहद में हम प्रार्थीगण की कृषि आराजियात स्थित है जिसका विवरण आराजी संख्या 2668/1087 रकबा 2.9084 हेक्टेयर भूमि है। भूमि कृषि भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खड़ी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाड़ा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्या मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाड़ा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 03.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)

उपर्युक्त अधिवक्ता
भीलवाड़ा